उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी

यूपीडा
सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
☎ 0522–2307542 / 2307592, इमेल.upeida2@gmail.com

पत्रांक 9782 / 1832 / यूपीडा / 21(वन) दिनांक 23 मार्च, 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उन्नाव वन प्रभाग,
उन्नाव।

विषयः–उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबेली में प्रभावित 23.552 हे0 आराक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षें के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एंव बाधक 167166 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः–भारत सरकार का पत्रांक–8बी / यू.पी. / 06 / 295 / 2021 / एफ0सी0 / 755 दिनांक 08.03.2022 तथा आपका पत्रांक 4564 / 14–1 दिनांक 11.03.2022।

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित पत्र के साथ संलग्न भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 08.03.2022 के द्वारा बिन्दु संख्या–2 व 3 के सम्बन्ध में सूचनाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, जिसके क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी (यूपीडा) के स्तर निम्न उत्तर / सूचना प्रेषित की जा रही हैः–

क्र0सं0	E.D.S.	कार्यवाही की स्थिति
1.	.kml file of the proposed alternate routes has been received, but demarcation of the forest area has been missing from the alternate route, this needs rectification.	**प्रथम अल्टरनेट रूट जो कि अलीगढ़ में स्थित शेखा बर्ड सेन्चुरी, के ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) के अन्दर से होकर जा रही है। इसी प्रकार तृतीय अल्टरनेट रूट अमरोहा में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के अन्दर से जा रही है। वन्य जीव विहारों के सीमा एवं ESZ के अन्तर्गत आने के कारण इन दोनो अल्टरनेटिव रूट पर अग्रेतर विचार नहीं किया गया।** **द्वितीय अल्टरनेट रूट के अन्तर्गत कोई वन्यजीव विहार, पक्षी विहार एवं उनके ईको सेन्सिटिव जोन नहीं आ रहे हैं। यह रूट मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त होने के कारण चयनित किया गया है।**

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

<table>
<tr>
<td>2.</td>
<td>As per the GIS DSS four patches of CA land in Purthiyawan village is falling under the forest block (RF). This needs rectification.</td>
<td>
ग्राम–पुरथ्यावां, तहसील–हसनगंज, जनपद–उन्नाव में प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव वन प्रभाग एवं एस0डी0एम0, हसनगंज, उन्नाव के द्वारा संयुक्त रूप से भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल के द्वारा 5.3517 हे0 गैर वन भूमि का पुनर्ग्रहण आदेश निर्गत होने के उपरान्त यूपीडा के द्वारा प्राप्त की गयी है। आयुक्त, लखनऊ मण्डल का पुनर्ग्रहण आदेश, खतौनी एवं कैडेस्ट्रल मैप परिवेश पोर्टल के पार्ट–1 में अपलोड किया गया है। ग्राम–पुरथ्यावां में वन विभाग को दी जाने वाली गैर वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–
<table>
<tr><th>क्र0सं0</th><th>जनपद</th><th>तहसील</th><th>ग्राम</th><th>गाटा संख्या</th><th>क्षेत्रफल (हे0 में)</th><th>भूमि की श्रेणी</th><th>आयुक्त लखनऊ मण्डल का पुनर्ग्रहण आदेश संख्या</th></tr>
<tr><td rowspan="9">1.</td><td rowspan="9">उन्नाव</td><td rowspan="9">हसनगंज</td><td rowspan="9">पुरथ्यावाँ</td><td>1527</td><td>0.0527</td><td>बंजर</td><td rowspan="9">4249 / गंगा एक्सप्रेसवे / वन विभाग / 2021 दिनांक 09.09. 2021 (उक्त आदेश परिवेश पोर्टल के पार्ट–1 में अपलोड है, इसके अतिरिक्त खतौनी की प्रति भी अपलोड है)</td></tr>
<tr><td>1531ख</td><td>0.6340</td><td>ऊसर</td></tr>
<tr><td>462क</td><td>0.0060</td><td>नवीन परती</td></tr>
<tr><td>344</td><td>0.0510</td><td>नवीन परती</td></tr>
<tr><td>448ग</td><td>0.2590</td><td>ऊसर</td></tr>
<tr><td>487</td><td>0.2530</td><td>नवीन परती</td></tr>
<tr><td>506</td><td>0.4680</td><td>ऊसर</td></tr>
<tr><td>496</td><td>0.3150</td><td>ऊसर</td></tr>
<tr><td>1973</td><td>3.3130</td><td>ऊसर</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9 किता</td><td>5.3517</td><td></td><td></td></tr>
</table>
उपरोक्त 5.3517 हे0 गैर वन भूमि आयुक्त, लखनऊ मण्डल के उपरोक्त आदेश में ऊसर, बंजर एवं नवीन परती के रूप में दर्ज है, इसमें कोई भी वन भूमि सम्मिलित नहीं है। वन भूमि के निकट की गैर वन भूमि को सुरक्षा की दृष्टि से डी0एफ0ओ0, उन्नाव की सहमति से प्राप्त किया गया है। इस सम्बन्ध में सम्भावना है कि वन भूमि के डिजिटल मैप एवं राजस्व विभाग के अभिलेखों के अनुसार निर्मित कैडेस्ट्रल मैप में समरूपता न होने के कारण अन्तर दृष्टिगोचर हो रहा हो।
इस सम्बन्ध में डी0एफ0ओ0, उन्नाव से अनुरोध है कि अपने स्तर से भी ग्राम–पुरथ्यावां की उक्त गैर वन भूमि के सम्बन्ध में जांच कर भारत सरकार के समक्ष स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।
</td>
</tr>
</table>

भवदीय

(अरूण कुमार राय)
अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ